नियम 133 : प्राधिकरण का आदेश

(1) प्राधिकरण, [1][मुनाफाखोरी–रोधी महानिदेशालय] से रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख से [2][छह] मास की अवधि के भीतर अवधारित करेगा कि क्या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक पहुचाएँ हैं।

(2) जहां ऐसे हितबद्ध पक्षकारों से लिखित में कोई प्रार्थना प्राप्त होती है, प्राधिकरण द्वारा हितब) पक्षकारों को सुनने का एक अवसर प्रदान करेगा।

[3][(2क) प्राधिकारी, उपनियम (1) के अधीन अवधारणा प्रक्रिया के दौरान नियम 129 के उपनियम (6) के अधीन मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक से प्रस्तुत रिपोर्ट पर यदि कोई हो, स्पष्टीकरण मांग सकेगा।]

[4][(3) जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, प्राप्तिकर्ता को माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा, कीमत में आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दिया था, वहां प्राधिकरण,–

(क) कीमतों में कमी करने;

(ख) प्राप्तिकर्ता को, उच्चतर रकम के संग्रहण की तारीख से, यथास्थिति, ऐसी रकम की वापसी या ब्याज सहित वापस न की गई रकम की वसूली की तारीख तक, अठारह

---

1 अधिसूचना क्रमांक 29/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा ''रक्षोपाय महानिदेशालय'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)।

2 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा शब्द ''तीन'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

3 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा उपनियम (2क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

4 अधिसूचना क्रमांक 26/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.06.2018 द्वारा उप–नियम (3) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 13.06.2018)। प्रतिस्थापन के पूर्व इस प्रकार था :

"(3) जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय को मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता नहीं पहुंचाया है, प्राधिकरण :–

(क) मूल्यों में कटौती का आदेश कर सकेगा(

(ख) प्राप्तिकर्ता को, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत् की दर पर ब्याज सहित, वापिस करने का आदेश दे सकेगा(या

उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति वापिस की रकम प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नहीं है, खंड (ख) के अधीन वापिस नहीं की गई रकम की वसूली का आदेश दे सकेगा और उसे धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में निक्षेप करेगा।

(ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति का अधिरोपण(और

(घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण।

प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दी गई रकम के समतुल्य रकम को वापस करने;

(ग) जहां पात्र व्यक्ति ने रकम की वापसी का दावा नहीं किया है या उसकी पहचान नहीं हुई है, वहां, उपरोक्त खंड के अधीन अवधारित रकम के पचास प्रतिशत[5]**[**उच्चतर धनराशि के संग्रहण की तारीख से ऐसी धनराशि के जमा करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज के साथ**]** के समतुल्य रकम को, धारा 57 के अधीन गठित निधि में और रकम का शेष पचास प्रतिशत संबद्ध राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 57 के अधीन गठित निधि में जमा करने;

(घ) अधिनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के अधिरोपण; और

(ङ.) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण,

का आदेश कर सकेगा।

स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, ''संब) राज्य'' [6]**[**या संघ राज्यक्षेत्र**]** पद से ऐसा राज्य अभिप्रेत है, जिसके संबंध में प्राधिकरण ने आदेश पारित किया है।

[7]**[(4)** यदि नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट [8]**[**मुनाफाखोरी–रोधी महानिदेशक**]** की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि धारा 171 के उपबंधों का या इन नियमों का उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन न होने की दशा में भी यदि प्राधिकरण की यह राय है कि मामले में और अन्वेषण किया जाना चाहिए या जांच की जानी चाहिए, तो वह मामले को, लेखब) किए जाने वाले कारणों से, [9]**[**मुनाफाखोरी–रोधी महानिदेशक**]** को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार और अन्वेषण या जांच करवाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

[10]**[(5)(क)** उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 171 के उपबंधों का, माल या सेवा या दोनों के संबंध में उन के सिवाय, जो उक्त रिपोर्ट में आच्छादित किए गए है, उल्लंघन किया गया है, प्राधिकारी उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे अन्य माल या सेवाओं या दोनों के

---

5 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

6 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

7 अधिसूचना क्रमांक 14/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा उप–नियम (4) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2018)।

8 अधिसूचना क्रमांक 29/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा शब्द ''रक्षोपाय महानिदेशक'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)

9 अधिसूचना क्रमांक 29/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा शब्द ''रक्षोपाय महानिदेशक'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)

10 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा उप–नियम (5) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

संबद्ध अन्वेषण या जांच कराने के लिए उक्त नियम 1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक को निदेश दे सकेगा।

]

(ख) खंड (क) के अधीन अन्वेषण या जांच नई अन्वेषण या जांच समझी जाएगी और नियम 129 के सभी उपबंधों ऐसे अन्वेषण या जांच पर यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगें

]

]